राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-2) विभाग

समस्त अति0 मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/
शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव/
समस्त विभागाध्यक्ष (संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर्स) सहित।

क्रमांक-प. 1(2)कार्मिक/क-2/17पार्ट जयपुर, दिनांक

विषय: नियमित डीपीसी आयोजित किये जाने के संबंध में।
संदर्भ: परिपत्र क्रमांक प. 4(1)कार्मिक/क-2/अं.प्र./2008पार्ट जयपुर दिनांक 30.4.2020

महोदय,

उपयुर्क्त विषयान्तर्गत संदर्भित परिपत्र के माध्यम से सभी सेवा नियमों में वरिष्ठता निर्धारण संबंधी विहित प्रावधानान्तर्गत विभिन्न पद/संवर्गों की एक अप्रेल की स्थिति में वरिष्ठता सूची तैयार कर प्रसारित करते हुए प्रत्येक वर्ष की भांति दिनांक 01.04.2020 की स्थिति में नियमानुसार विभागीय पदोन्नति समितियों की बैठकें आयोजित कर पदोन्नति की कार्यवाही यथाशीघ्र करने हेतु निर्देशित किया गया था, किन्तु प्रदेश अध्यक्ष, राज0 निजी सहायक संवर्ग महासंघ, जयपुर द्वारा ज्ञापन प्रस्तुत कर विभाग के ध्यान में लाया गया है कि कई अधीनस्थ विभागों में निजी सहायक संवर्ग की डीपीसी की बैठकें नियमित रूप से आयोजित नहीं हो रही हैं।

अतः समस्त प्रशासनिक विभाग/विभागाध्यक्ष/नियुक्ति प्राधिकारी को उपरोक्तानुसार लम्बित डीपीसी की बैठकें यथाशीघ्र कराने का श्रम करे।

भवदीय,

(जय सिंह)
संयुक्त शासन सचिव